



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 797]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 1, 2003/भाद्र 10, 1925

No. 797]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 1, 2003/BHADRA 10, 1925

पोत परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अगस्त, 2003

का.आ. 1003(अ).—केन्द्रीय सरकार, गोदी कामगार (रोजगार का विनियमन) नियमावली, 1962 के नियम 4 के उप नियम (2) के साथ पठित गोदी कामगार (रोजगार का विनियमन) अधिनियम, 1948 (1948 का 9) की धारा 5क की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार, पोत परिवहन मंत्रालय के का.आ. संख्या 673(अ) दिनांक 12 जून, 2003 के अनुक्रम में एतद्वारा परिवहन तथा गोदी कामगार संघ के प्रतिनिधि श्री प्रमोद शर्मा को कांडला गोदी श्रमिक बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. एल बी-13014/3/2002-यू एस (एल)]

आर. के. जैन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING

(PORTS WING)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th August, 2003

S.O. 1003(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5A of Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 (9 of 1948) read alongwith sub-rule (2) of Rule 4 of the Dock Workers (Regulation of Employment) Rules, 1962, and in continuation of the Notification of the Govt. of India, Ministry of Shipping S.O. No. 673(E) dated 12th June, 2003, the Central Government hereby appoints Shri Pramod Sharma, representative of Transport and Dock Workers Union, as member of Kandla Dock Labour Board.

[F.No. LB-13014/3/2002-US(L)]

R. K. JAIN, Jt. Secy.